

फोन/Phone: 91-22-6656 5656

91-22-66564021

ई-मेल/Email: dc@mumbaiport.gov.in

वेबसाइट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority



उप संरक्षक का कार्यालय,

समुद्री विभाग, पोर्ट भवन, पहला माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट

मुंबई - 400 001

Dy. Conservator's Office,
Marine Department,
Port House, 1st floor,
Shoorji Vallabhdas Marg,

Ballard Estate, MUMBAI - 400 001.



सं. : उ.सं/सी-एसएच/2026/ 1100

27 APR 2026

सेवा में,

1. सभी सम्बंधित कर्मी
2. सभी नौवहन एजेंट/पत्तन के उपयोगकर्ता
3. मनसा/इनसा

परिपत्र

यह सूचित किया जाता है कि मानसून की अवधि के दौरान 'शांत नौचालन' (cold moves) के तहत (डम बार्ज की आवाजाही) की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में केवल आपातकालीन स्थितियों अथवा जब पत्तन में समुद्र स्पष्ट रूप से शांत होता है और कोई बारिश नहीं होती है तो छोटे डम बार्ज और छोटी नौकाओं को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। 01.06.2026 से 15.09.2026 तक मानसून के महीनों में 'शांत नौचालन' के तहत किसी भी जहाज को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। समतल ऊपरी सतह के सभी डम बार्जों को आश्रय क्षेत्रों में अच्छी तरह बाँध कर रखा जाएगा और डम बार्ज (अकोमोडेशन/प्लोटिंग क्रेन) के पास उपयुक्त स्टैंडबाई टग उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी के साथ सही, तरह से लगाए एवं चिह्नंकित चार लंगर और एक उपयुक्त पावर टग भी तैयार रखने होंगे।

सभी को प्रतिमाह चार्ट डेटम उपलब्ध कराए जाते हैं और घाटायन बैठकों के दौरान अधिकतम अनुमत गहराई के विषय में नियमित जानकारी दी जाती है। इन घोषणाओं को आधिकारिक घोषणा माना जाना चाहिए। जहाज के आकार, मौसम की स्थिति, जहाज के निष्पादन और तेज़ लदाई - उतराई के उपकरणों को ध्यान में रखते हुए मामले के आधार पर ढील देने पर विचार किया जा सकता है।

जहाँ भी अनुमति दी जाती है वहाँ नौवहन महानिदेशालय के संगत परिपत्रों का पालन किया जाना चाहिए।

(कप्तान प्रवीण कुमार सिंह)

उप संरक्षक

प्रतिलिपि:

प्रवर गोदी प्रमुख, इंदिरा गोदी

यातायात प्रबंधक

उप गोदी प्रबंधक, इंदिरा गोदी

व्यापार विकास कक्ष (बीडीसी)

हारबर मास्टर, मुंबई पत्तन प्राधिकरण

सहायक हारबर मास्टर, मुंबई पत्तन प्राधिकरण

सहायक आयुक्त (पत्तन), मुंबई पत्तन प्राधिकरण